न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
04 / 22	एफएसएस एक्ट, 2006	25 / 08 / 2022

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

बनाम

–आवेदक

1. विजेन्द्र सैनी पुत्र श्री नानकराम सैनी उम्र 27 वर्ष जाति माली निवासी सदर थाना मिर्जापुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक)– फर्म– विजेन्द्र मिष्ठान भण्डार गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 29.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 18.02.2022 को साय 05:00 पीएम पर मैसर्स विजेन्द्र मिष्ठान भण्डार सदर थाना मिर्जापुर गंगापुर सिटी पर पहूँचा वहा पर आम जनता को विकय हेतु मावा 8 किलोग्राम विकय हेतु रखकर बेचा जा रहा था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त मावा 8 किलोग्राम मावा में से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा उसकी कीमत 270 / – रू0 विकेता श्री विजेन्द्र सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 1 किलो मावा को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बौतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2247 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेशषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक / एमएसएसए / 22 / 620 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य

विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/943/ एक्ट/2022/ 981 दिनांक 16.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अवमानक पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/943/ एक्ट/2022/ 981 दिनांक 16.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी पढा लिखा नहीं है मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। अप्रार्थी जाबबदार ने उक्त दुकान कुछ ही समय पूर्व चालू की है। अप्रार्थी को भैस वाले दूध देकर जाते है जिसका अप्रार्थी मावा बनाकर विक्रय करता है। अप्रार्थी एक छोटी सी दुकान चलाता है जिसमें अप्रार्थी दुध क्रय कर मावा तैयार कर दुकानदारी करता है तथा उक्त दुकान से ही अप्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी को बहुत गरीब व्यक्ति है स्वयं के मकान में ही एक छोटी सी दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/943/ एक्ट/2022/ 981 दिनांक 16.03.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अवमानक स्तर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 29.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी